



महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

दूरभाष: 0151-2970177 ई-मेल: registrar@mgsbikaner.ac.in

प.07()मगंसिविबी/प्रबन्ध बोर्ड-33/2019/21508

दिनांक 11-10-2019

प्रबन्ध बोर्ड की 33 वीं बैठक कार्यवृत्त (Minutes)

प्रबन्ध बोर्ड की 33वीं बैठक दिनांक 11 अक्टूबर 2019 को प्रातः 11:00 बजे प्रबन्ध बोर्ड सभागार, महर्षि शौनक भवन (कुलपति सचिवालय) में माननीय कुलपति प्रो. भगीरथ सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :-

1	प्रो. भगीरथ सिंह, कुलपति, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर	अध्यक्ष
2	श्रीमती कृष्णा पूनिया माननीया विधायक-सादुलपुर	सदस्य
3	श्री जगदीश चन्द्र माननीय विधायक-सादुलशहर	सदस्य
4	डॉ. मोहम्मद नईम, संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा प्रतिनिधि, शासन सचिव, उच्च शिक्षा राज. सरकार, जयपुर	सदस्य
5	प्रो. लक्ष्मी शर्मा माननीय कुलाधिपति द्वारा मनोनीत शिक्षाविद्	सदस्य
6	डॉ. विनोद चन्द्र राज्य सरकार द्वारा मनोनीत शिक्षाविद्	सदस्य
7	डॉ. एन.एस. बिस्सा राज्य सरकार द्वारा मनोनीत शिक्षाविद्	सदस्य
8	डॉ. अनन्त जोशी राज्य सरकार द्वारा मनोनीत प्राचार्य, निजी महाविद्यालय	सदस्य
9	प्रो. सुरेश कुमार अग्रवाल कुलपति महोदय द्वारा मनोनीत संकायाध्यक्ष	सदस्य
10	प्रो. अनिल कुमार छंगाणी कुलपति महोदय द्वारा मनोनीत आचार्य	सदस्य
11	प्रो. राजाराम घोयल कुलपति महोदय द्वारा मनोनीत संकायाध्यक्ष	सदस्य
12	प्रो. नारायण सिंह राव कुलपति महोदय द्वारा मनोनीत आचार्य	सदस्य
14	श्री अमरनाथ अग्रवाल, कुलसचिव	सदस्य सचिव

(संभागीय आयुक्त, प्रतिनिधि अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त, राज. सरकार, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, डॉ. विजय कुमार पंचोली, माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा नामित सदस्य बैठक में अनुपस्थित रहे)।

कुलपति महोदय द्वारा समस्त सदस्यों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई।

मद संख्या	विवरण	अनुभाग/ विभाग
406	दिनांक 06-08-2019 को सम्पन्न हुई प्रबन्ध बोर्ड की 32वीं बैठक के कार्यवाही विवरण के पुष्टि का प्रस्ताव। परिशिष्ट-1 (पृष्ठ संख्या : 01-08)	शैक्षणिक
निर्णय	अनुमोदन किया गया।	
407	दिनांक 06-08-2019 को आयोजित प्रबन्ध बोर्ड की 32वीं बैठक के कार्यवृत्त पर बिन्दुवार की गई कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट (ATR) के अनुमोदन का प्रस्ताव। परिशिष्ट-2 (पृष्ठ संख्या : 09-12 (A, B))	
निर्णय	प्रबन्ध बोर्ड बैठक दिनांक 06 अगस्त, 2019 में लिये गए निर्णय "विश्वविद्यालय में सेवादाता फर्म के माध्यम से उपलब्ध कराये जा रहे श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी राशि 400/- रु. प्रति दिवस निर्धारित किये जाने" की पालना आज दिनांक तक नहीं किये जाने को प्रबन्ध बोर्ड द्वारा गंभीरता से लेते हुए तत्काल (दीपावली से पूर्व) पालना करने के निर्देश प्रदान किये। साथ ही प्रबन्ध मण्डल के निर्णय पर समय पर कार्यवाही नहीं करने एवं टालमटोल करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।	सामान्य प्रशासन संस्थापन
408	विश्वविद्यालय में नवीन कुलपति की नियुक्ति हेतु गठित की जाने वाली सर्व कमेटी (खोजबीन समिति) में प्रबन्ध बोर्ड द्वारा एक सदस्य के मनोनयन का प्रस्ताव। परिशिष्ट-3 (पृष्ठ संख्या : 13-16)	
निर्णय	डॉ. आर.डी. सैनी, पूर्व सदस्य, राजस्थान लोक सेवा आयोग को प्रबन्ध मण्डल द्वारा कुलपति सर्व (खोजबीन) कमेटी में सदस्य मनोनीत किया गया।	शैक्षणिक
409	विश्वविद्यालय में ग्रेड-पे रु. 3600/- या इससे कम ग्रेड-पे के अधीनस्थ सेवाओं और मंत्रालयिक सेवाओं के पदों पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के माध्यम से भर्ती करवाने का प्रस्ताव। परिशिष्ट-4 (पृष्ठ संख्या : 17-22)	
निर्णय	प्रस्ताव को निरस्त करते हुए भर्ती विश्वविद्यालय द्वारा करने का निर्णय लिया गया।	संस्थापन

410	राज्य सरकार के चाईल्ड केयर लीव के प्रावधानों को अंगीकृत करने का प्रस्ताव। परिशिष्ट-5	(पृष्ठ संख्या : 23-32)	
निर्णय	राज्य सरकार के प्रावधानों को अंगीकृत करने का निर्णय लिया गया।		संस्थापन
गत बैठक के शेष मद			
371 (1)	परीक्षात्मक कार्यों हेतु विश्वविद्यालय कार्मिकों के मानदेय/पारिश्रमिक के निर्धारण के सम्बन्ध में समिति की रिपोर्ट विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है। परिशिष्ट-13	(पृष्ठ संख्या : 65-68)	
निर्णय	परीक्षा 2019 के लिए पूर्व में प्रबन्ध बोर्ड द्वारा अनुमोदन उपरान्त जारी आदेश संख्या 33100 दिनांक 08-03-2016 के अनुसार मानदेय भुगतान करने का निर्णय लिया गया। साथ ही आगामी परीक्षा वर्ष 2020 से प्रदान किये जाने वाले मानदेय/पारिश्रमिक निर्धारण हेतु पूर्व में गठित समिति में प्रबन्ध मण्डल के माननीय सदस्यों प्रो. सुरेश कुमार अग्रवाल एवं डॉ अनन्त जोशी को सम्मिलित करते हुए प्रस्तुत अनुशंसा का पुनः परीक्षण कर आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।		परीक्षा


टेबल मद

418	विश्वविद्यालय में स्थापित सेन्टर्स के संचालन हेतु संचित निधि कोष की बनाने का प्रस्ताव। परिशिष्ट- 14		
निर्णय	राशि रु. 2.00 करोड़ की संचित निधि बनाने की स्वीकृति प्रदान करते हुए मार्जिनल सोसायटी केन्द्र का नाम "डॉ. भीमराव अम्बेडकर मार्जिनलाईज्ड सोसायटी केन्द्र" करने का निर्णय लिया गया।		लेखा शैक्षणिक
419	विश्वविद्यालय अध्यादेश 169-H(2) के प्रावधान अनुसार छात्रा ममता पुत्री राजकुमार स्वामी को जारी स्नातक कला द्वितीय व तृतीय वर्ष की संशोधित अंकतालिकाओं के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव परिशिष्ट- 15		
निर्णय	विश्वविद्यालय द्वारा जारी संशोधित अंकतालिका की पुष्टि करते हुए माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार आगामी कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।		परीक्षा
420	माईक्रो सॉफ्ट कम्पनी का ऑपरेटिंग सिस्टम एवं एम.एस. ऑफिस ऑनलाईन अथवा स्थानीय अधिकृत फर्म से एकल उपापन स्रोत होने के कारण क्रय करने का प्रस्ताव। परिशिष्ट- 16		
निर्णय	अनुमोदन किया गया।		सामान्य प्रशासन

421	विश्वविद्यालय स्पोर्ट्स बोर्ड की बैठक दिनांक 06 अगस्त, 2019 एवं 11 अक्टूबर, 2019 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन का प्रस्ताव। परिशिष्ट- 17	
निर्णय	स्पोर्ट्स बोर्ड की बैठक दिनांक 06 अगस्त, 2019 एवं 11 अक्टूबर, 2019 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन करते हुए विश्वविद्यालय में साईक्लिंग वेलोड्रम एवं सिन्थेटिक एथलेटिक्स ट्रेक बनाने का निर्णय लिया गया। साथ ही साईक्लिंग वेलोड्रम का नामकरण पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के नाम से करने की अनुशंसा की गई।	खेलकूद

मद संख्या 411 से 417 एवं 422 को प्रबन्ध बोर्ड की आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।


(अमरनाथ अग्रवाल)
सदस्य सचिव